



ब्यायालय साजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, नवालियर

निम्न - 1469 - I - 16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला जबलपुर

वीरबं सिंह परस्ते पिता श्री मनोज सिंह परस्ते
निवासी वार्ड नंबर 10 जुनवानी, तहसील व जिला जबलपुर

— आवेदक

विलङ्घ

श्री बन्हेलाल साहू उमे 79 वर्ष पिता श्री राधेलाल साहू
बिवासी म. नं. 299 वार्ड नंबर 4 शारदा नगर रिहाई
पुखा बडेला, तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

ब्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-08-15 के विलङ्घ मध्यप्रदेश भू-साजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहांकि, अधीनस्थ ब्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
2. यहांकि, अधीनस्थ विचारण ब्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिहाई पहांन. 93 रानि. म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 300/2, 300/3, 297/1, 297/2, 296 रक्षा क्रमांक: 0.100, 0.200, 1125 वर्गफुट, 1375 वर्गफुट एवं 2517 वर्गफुट कुल रक्षा 0.347 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के नाम से ग्राम जुनवानी एवं महगांव में 2.34 हैक्टर भूमि होष बचती है। होष बची हुई भूमि को उन्नत बनाने आदि के लिए आवेदक ने ग्राम रिहाई की भूमि को विक्रय करना उचित समझा और केता अनावेदक क्रमांक 1 से विक्रय अनुबंध कर द्याना प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जाये। किंतु अधीनस्थ ब्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

Rb

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर

प्रकरण क्रमांक निगा० 1469 -एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-5-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 2-5-16 के विलम्ब मण्डल संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिणीति किया यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समझ प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक वीरबलिंग परस्ते द्वारा नाम रिझर्व प.हं.न. 93 रानी.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसदा नं. 300/2, 300/3, 297/1, 297/2, 296 रक्का क्रमांक: 0.100, 0.200, 1125 वर्गफुट, 1375 वर्गफुट एवं 2517 वर्गफुट कुल रक्का 0.347 हैक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिल पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपर्यांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कथ की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमत भविष्य में लगातार बढ़ेगी । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम संशोधित किए जाने का आदेश दिनांक 2-5-16 को हुआ है और उसके बारह-चौदह माह बाद</p>	<p>पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रश्नाकाले एवं अधिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विलङ्घ है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष व्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि या आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शीत परिणिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से हकार किया हैं, वे आधार व्यायासंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की गाँव रिश्वाई पहुंच. 93 रानिम. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर दिल्ली भूमि खसरा नं. 300/2, 300/3, 297/1, 297/2, 296 रक्षा क्रमांक: 0.100, 0.200, 1125 वर्गफुट, 1375 वर्गफुट एवं 2517 वर्गफुट कुल रक्षा 0.347 हेक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शृंति के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। <p>यह निगरानी तदनुसार नियाकृत की जाती है। प्रश्नाकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकाई हो।</p> <p style="text-align: right;">लालकुमार</p>	